न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **आशा कुमारी (जिला न्यायाधीश)**

विविध आपराधिक (जमानत) प्रकरण संख्या – 13/2026

आवेश हुसैन अब्बासी पुत्र शाकीर हुसैन, उम्र 20 वर्ष, निवासी वाटर वर्क्स रोड़, प्रतापगढ़, हाल तलाई मोहल्ला, प्रतापगढ़, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.)

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थिति–

01– श्री बलवंत सिंह बंजारा, विद्वान अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से

02– श्री आशुतोष जोशी, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक – राजस्थान राज्य की ओर से

03– परिवादिया आँचल का पिता राजेश उपस्थित

आदेश

दिनांकः 11.03.2026

01– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का द्वितीय आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत हुआ, जिसकी प्रति विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया आँचल ने दिनांक 01.01.2026 को पुलिस थाना प्रतापगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि करीब 06 माह पूर्व आवेश उसको मिला, जिसने अपना नाम भावेश माली बताया, जिसे वह हिन्दू समझकर बात करने लगी और उसे फिर जगह–जगह घुमाने के लिये ले जाने लगा और उसे एक बार अम्बामाता रोड़ पर भी ले गया, जहाँ पर उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील फोटो व वीडियो खींचे और उनके आधार पर उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियाँ देने लगा तथा रूपयों की माँग करने लगा। इस प्रकार उससे जबरन 50,000 रूपये ऐंठ लिये और वीडियो वायरल करने की धमकियाँ देकर कहने लगा कि तेरा ऐसा हाल कर दूँगा कि तू समाज में कहीं पर भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी और बार–बार उससे मिलने का दबाव बनाने लगा और नहीं मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकियाँ देने लगा। इस प्रकार उसे मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा और आज दिनांक 01.01.2026 को उसे यहाँ से बाहर ले जाने और घर से रूपये लाने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर वीडियो वायरल करने की धमकियाँ दीं और उसे जबरदस्ती निम्बाहेड़ा शहर ले जाने लगा, जहाँ उसे अन्यत्र बेचने के लिये ले जाने लगा, जिसकी उसे थोड़ी भनक लगी, तो रास्ते में अम्बामाता रोड़ पर उसने उसके भाइयों व परिचितों को देखा, तो उसने उन्हें आवाज देकर रोका, जहाँ पर उसे उन्होंने छुड़वाया। फिर उसने सारी बात अपने भाइयों व परिजनों को बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रथम आवेदन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2026 को खारिज किया गया है। बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया गया। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है–

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	पुलिस थाने का नाम	प्राथम सूचना रिपोर्ट किस अपराध में संस्थित हुई	वर्तमान में मामला किस अपराध के तहत् विचाराधीन है	प्रार्थी की गिरफ्तारी की दिनांक	प्रार्थी के विरूद्ध अन्य दर्ज/लंबित/ सजायाब प्रकरणों की संख्या	पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन की स्थिति/प्रथम आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
01/2026	प्रतापगढ़	308(3) BNS व धारा 3(1)(r)(s) SC/ST Act	308(3) BNS व धारा 3(1)(r)(s) SC/ST Act	02.01.2026	00	द्वितीय

03– अधिनियम की धारा 15 के तहत परिवादी पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। परिवादिया का पिता राजेश बाद तामील नोटिस उपस्थित आया, जिसे सुना गया।

04– बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

05– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया को जातिगत रूप से अपमानित नहीं किया है, न ही उसके कोई अश्लील फोटो या वीडियो बनाये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई पैसे या वीडियो रिकवर नहीं किये गये हैं। परिवादिया ने प्रार्थी/अभियुक्त से अवैध रूप से पैसे ऐंठने की नीयत से यह झूँठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट 06 माह देरी से दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। वह दिनांक 02.01.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है तथा विचारण पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

06– विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को हिन्दू होना बताते हुए परिवादिया को झाँसे में लेकर उसके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकियाँ देकर 50,000 रूपये ऐंठ लिये हैं और उसे घर से चोरी करने तथा धर्म परिवर्तन करने के लिये मजबूर किया है। वर्तमान में जोर–जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाने वालों का रैकेट चल रहा है और यह समस्या सभी जगह फैल रही है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया।

07– परिवादिया के पिता ने निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के भय के कारण उन्होंने जल्दबाजी में परिवादिया की शादी कर उसे विदा किया है। शादी को अभी 2–4 दिन ही हुए हैं। ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने पर वह परिवादिया के साथ फिर कोई अपराध कर सकता है। इसलिये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

08– मैंने अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त आवेश द्वारा स्वयं को भावेश माली बताकर परिवादिया से बात कर उसको एक कमरे में ले जाकर उसके अश्लील फोटो व वीडियो उतारकर उन्हें वायरल करने की धमकियाँ देकर परिवादिया से 50,000 रूपये ऐंठना, उस पर मुस्लिम धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना और उसे अन्यत्र बेचने हेतु निम्बाहेड़ा की ओर ले जाना, लेकिन परिवादिया के भाइयों व परिचितों द्वारा उसे छुड़ाना बताया गया है। स्वयं परिवादिया के पिता राजेश ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह जाहिर किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने झूँठ बोलते हुए स्वयं को हिन्दू होना बताकर उसकी पुत्री से दोस्ती की और

उसके फोटो खींचकर उसकी पुत्री को दिखाकर फोटो वायरल कर समाज में बदनाम करने धमकी देकर पैसे माँगे और अपने घर से चोरी करने को मजबूर किया, जिस पर उसकी बेटी ने द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को 50,000 रूपये दिये थे। इसके अलावा उसने यह भी जाहिर किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उसकी पुत्री का शारीरिक शोषण भी किया और उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिये दबाव बनाया है। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं बताया गया है, लेकिन मामले में किये गये पुलिस अनुसंधान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसूचित जाति के वर्ग की परिवादिया को अपमानित करने तथा उसके फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसों की माँग कर उद्दापन कारित करने के संबंध में धारा 308(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया गया है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। यदि इस प्रकार के गंभीर अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों का मनोबल बढ़ने की संभावना रहेगी। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत का "प्रथम" आवेदन दिनांक 14.01.2026 को पारित आदेश द्वारा खारिज किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा "माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर" के समक्ष S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 149/2026 दायर की थी, जो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रत्याहरित करने के आधार पर दिनांक 05.03.2026 को खारिज की गई है। हालांकि इसके पश्चात् मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है, लेकिन प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कोई व्यापक एवं सारभूत परिवर्तन नहीं आया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

09– फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **आवेश हुसैन अब्बासी** पुत्र शाकीर हुसैन, उम्र 20 वर्ष, निवासी वाटर वर्क्स रोड़, प्रतापगढ़, हाल तलाई मोहल्ला, प्रतापगढ़, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) द्वारा प्रस्तुत जमानत का द्वितीय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(आशा कुमारी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.), प्रतापगढ़ (राज.)

10– आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by SAWAN SHARMA
Date: 2026.03.11 16:36:55 +0530

(आशा कुमारी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.), प्रतापगढ़ (राज.)